प्र०सं० 255/2021

राजेश — बनाम — फूलचन्द

12-1-22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०

प्रार्थीगण ने ग्राम जागीर [illegible]

प्रार्थी प्रा० पत्र [illegible] ग्राम [illegible]

स्थित भूमि ख०नं० 1473, 1474

1475, 1492 व 1499 किता 7 रकबा 0.99 हे०

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी

भूमि है जिसका विभाजन नहीं

हुआ है मौके पर पक्षकारान ने अपने मन

मर्जी से बाटकर रिहायश बना रखी है

अप्रार्थीगण [illegible] किस्म के [illegible]

है [illegible] निर्माण करने प्रार्थी

के द्वारा [illegible] पेश करने पर [illegible]

व निषेध पारित किया जावे।

प्रार्थी प्रा० पत्र बाबत प्रार्थीगण के

[illegible] अप्रार्थीगण का

आदेश दिनांक 22-11-2021 को गये [illegible]

[illegible] नहीं करने हेतु [illegible]

किया गया।

प्रार्थी प्रा०पत्र बाबत अप्रार्थीगण को

नोटिस [illegible] किया गया अप्रार्थीगण

उपस्थित आये तथा [illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई

में [illegible] किया कि [illegible]

पक्षकारान ने [illegible] [illegible] कर कारत

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.02.21 22:26:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही [illegible]

करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी के
खातेदारी में आयी भूमि 29 नं0
1493, 1475 में गत 35-40 साल पूर्व
पक्का मकान, बाउण्ड्रीवाल, चबूतरा वगैरह
मकान नाली लेट्रिन [illegible] एवं
जर्जर हालत में होने से मकान की मरम्मत
[illegible] करवाते हैं, कोई नया निर्माण
अप्रार्थी ने नहीं किया है। पुराने मकान
की मरम्मत करवाने की अप्रार्थी को पूर्ण अधिकार
है अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी [illegible]
निषेधाज्ञा दि0 22.11.2021 [illegible]
प्रार्थी ने प्रा0पत्र 151 CPC पेश किया
[illegible] जवाब पेश नहीं कर
जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] प्रार्थी वकील
ने प्रा0पत्र के [illegible] बहस की, प्रार्थी वकील
द्वारा बहस की - [illegible] बहस पर मनन
किया, प्रार्थी प्रा0पत्र अं0 नि0 एवं जवाब प्रा0पत्र
[illegible] का अवलोकन किया, विवादित
अप्रार्थी एक को [illegible] अप्रार्थीगण की खातेदारी
आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रिकार्ड में दर्ज है लेकिन
चूंकि दोनों पक्षकार [illegible] अप्रार्थी के
ही प्रार्थी प्रा0पत्र एवं जवाब [illegible]
विवादित आराजी पर पक्का [illegible] मकान
का [illegible] करते, एवं [illegible]
निर्माण करना प्रकट है। दोनों [illegible] के लिये
[illegible] के [illegible]
[illegible] है। अप्रार्थी ने अपने पुराने [illegible]
[illegible] किया जाये
मकान में मरम्मत [illegible]
[illegible] नया [illegible]
[illegible] किया [illegible]
[illegible]
[illegible] प्रार्थी पक्ष में [illegible] सुरक्षित करते
रहे हैं।

Cont

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.02.21 22:26:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रा० पत्र 151 CPC एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि० 23-1-2021 खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रा० पत्र 151 CPC प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 23-1-2021 वेकेट किया जाकर प्रार्थी प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण कैफल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय सुनाया गया।
	(नीरज कुमार मीणा)
	उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.02.21 22:26:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner